



-du

न्यायालय, भूमि सुधार, उप समाहर्ता, सिमडेगा
एस0ए0आर0 वाद सं0 08/2009-10

मधुसूदन राम
बनाम
बहुरन महतो

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे टिप्पणी सहित तारीख																					
1	2	3																					
3.3.22	<p>प्रस्तुत वाद अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 अन्तर्गत भूमि वापसी वाद की कार्यवाही आवेदक मधुसूदन राम, पिता- स्व0 जगदीश राम, ग्राम- सिकरियाटांड बगडांड, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा के आवेदन पर प्रारंभ किया गया। आवेदक ने लिखा है कि विपक्षी बहुरन महतो, पिता- लखन महतो, ग्राम- सिकरियाटांड टांगरटोली, वो बुधन साव, पिता- कारु साव, ग्राम- गोहरीटाड, थाना- कुरडेग, जिला- सिमडेगा ने अवैध तरीके कब्जा किया गया है। जिसे बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1968 के तहत वापस दिलवाने का अनुरोध किया है। वाद संख्या- 08/2009-10 के अनुसार प्रश्नगत भूमि की विवरणी निम्नवत् है:-</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7" style="text-align: center;"><u>भूमि विवरण:-</u></th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;"><u>मौजा</u></th> <th style="text-align: center;"><u>थाना</u></th> <th style="text-align: center;"><u>थाना नं0</u></th> <th style="text-align: center;"><u>खाता न0</u></th> <th style="text-align: center;"><u>प्लॉट न0</u></th> <th style="text-align: center;"><u>रकबा</u></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">सिकरियाटांड</td> <td style="text-align: center;">सिमडेगा</td> <td></td> <td style="text-align: center;">406/4</td> <td style="text-align: center;">5457</td> <td style="text-align: center;">4.12 ए0 मे से 0.10 ए0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>वाद की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए अंचल अधिकारी, सिमडेगा को इस न्यायालय के पत्रांक 768(ii)/रा0, दिनांक 18.08.2010, पत्रांक 1133(ii)/रा0, दिनांक 22.11.2012, पत्रांक 608(ii)/रा0, दिनांक 10.06.2013, पत्रांक 516(ii)/रा0, दिनांक 20.05.2014, पत्रांक 647(ii)/रा0, दिनांक 20.07.2016 द्वारा उपयुक्त अंकित भूमि से संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गई थी। जो अप्राप्त है।</p> <p>अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि दिनांक 26.06.2010 से लेकर 04.10.2017 तक जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त एवं उभय पक्ष अनुपस्थित एवं व्यक्तिगत रूप से अभिरुचि नहीं रखी गई। दिनांक 04.10.2017 से लेकर 20.09.2021 तक पीठासीन पदाधिकारी अधिसूचित नहीं रहने के कारण अपील की सुनवाई नहीं की गई एवं उभय पक्ष की और से अधिवक्ता की कोई पैरवी नहीं पड़ी और न ही उभय पक्ष सशरीर उपस्थित हो सके। ऐसा प्रतित होता है कि उभय पक्षों को बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 के वाद की सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से अभिरुचि नहीं है। इनकी मनसा शायद न्यायालय के समय को बर्बाद करने का है। ऐसे स्थिति में वाद संख्या- 08/2009-10 को संचिकास्त किया जाता है। फिर भी यदि आवेदक की इच्छा हो तो संबंधित वाद को अनुमण्डल कार्यालय के न्यायालय में पुनः सुनवाई हेतु आवेदन पत्र समर्पित करते हुए अनुरोध कर सकते हैं।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  भूमि सुधार उप समाहर्ता सिमडेगा। </div> <div style="text-align: center;">  भूमि सुधार उप समाहर्ता सिमडेगा। </div> </div>	<u>भूमि विवरण:-</u>							<u>मौजा</u>	<u>थाना</u>	<u>थाना नं0</u>	<u>खाता न0</u>	<u>प्लॉट न0</u>	<u>रकबा</u>		सिकरियाटांड	सिमडेगा		406/4	5457	4.12 ए0 मे से 0.10 ए0		
<u>भूमि विवरण:-</u>																							
<u>मौजा</u>	<u>थाना</u>	<u>थाना नं0</u>	<u>खाता न0</u>	<u>प्लॉट न0</u>	<u>रकबा</u>																		
सिकरियाटांड	सिमडेगा		406/4	5457	4.12 ए0 मे से 0.10 ए0																		

11/10

21-9-10

12/10

23

19.5.14

आदेश- पत्रक
द्वैत नियम 129 अभिलेख हस्तकर्म

आदेश पत्रक - ता. 0..... से..... तक
जिला- सिमडेगा, तहसीला- S.A.R. काद सं. 8/09-10 तन् 2005
देश का प्रकार:- बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 धनाम

आदेश की नं
सं० और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

को गई
कारवाई

23-7-09

श्री. मधुसूदन राम

6.6.14

पिता- श्री. जगदीश राम

समकालिक सिकरिहाटांड कांडा, धाना, सिमडेगा

जिला- सिमडेगा में आवेदन पत्र दिया है कि निम्नलिखित
कमीन को नामांकन तारीख से मिलनी श्री. क. सुरेश

मदती, पिता- लखन मदती

ग्राम- सिकरिहाटांड, टांगरतौली

..... धाना, सिमडेगा

जिला- सिमडेगा..... ने

कब्जा कर लिया है। इस जमीन को बिहार अनुसूचित क्षेत्र
विनियम 1969 के अन्तर्गत वापस दिलाने का अनुरोध करते
हैं।

ग्राम	घाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा
सिकरिहाटांड	406/4	5457	0.10 रु. (4.12 रु. के ल)

अद्य पथ को सूचित करें। अभिलेख दिनांक
को उपस्थापित करें।

23/7/9
उप समाहती मू० सु०
सिमडेगा।

पत्रांक 620 (11)

दिनांक 23-7-09